क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एसपीएल–2, रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़

RPCB/RO KSG/PUB-55/ 1248 **Date:** 16.07.2020

Shree Laxmi Granite
A-12, R.K. Colony, Bhilwara

Sub.:- Public Hearing for the grant of Environmental Clearance for Chabariya Granite mining project, ML no. 23/2018 Village- Chabariya, Tehsil Kekri, District Ajmer .

Reference:- office of District Collector Ajmer letter no. 15080 dated 14/07/2020

Sir.

In reference to above please find enclosed a public notice to be published in one major national daily news paper (All editions) and one regional daily news paper (Hindi-All editions) in any case on or before **30/07/2020.** The news paper cutting are to be submitted to this office for further necessary action to conduct public hearing at **Rajeev Gandhi Seva Kendra, Lasadiya, Tehsil Kekri, Distrct Ajmer at 11.00 AM on 31/08/2020** for the environmental clearance of your project.

You are also requested to make available copies of EIA/EMP report and executive summary report in Hindi and English (with soft copies also) at various offices as mentioned in the public notice.

Yours sincerely,
Sd/-
(Rakesh Gupta)
Regional Officer

Copy to following for information & necessary action :-

1. The Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur for information.
2. The District Collector, Ajmer in compliance of your letter no. 15080 dated 14/07/2020.
3. Analyst Cum Programmer, RPCB, Jaipur to display public notice on website of Board.

Regional Officer

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एसपीएल–2, रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़

राप्रनिम/क्षैका किश/राज/पीयूबी–55/ दिनांक :

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **श्री लक्ष्मी ग्रेनाईट के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा छाबड़िया ग्रेनाईट खनन परियोजना, उत्पादन क्षमता–120000 टन प्रतिवर्ष (आर.ओ.एम.), खनन पटटा संख्या 23/2018, क्षेत्रफल 1.2704 हेक्टेयर, खसरा संख्या–615, निकट ग्राम–छाबड़िया, तहसील–केकडी, जिला–अजमेर (राजस्थान)** से संबन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि **श्री लक्ष्मी ग्रेनाईट के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता** ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एव पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :–
   1. जिला कलक्टर, अजमेर।
   2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
   3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, राजस्थान, 04, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   4. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला–अजमेर।
   5. कार्यालय खनिज अभियंता, खान व भू–विज्ञान विभाग, अजमेर।
   6. तहसील केकडी, जिला–अजमेर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के पत्र क्रमांक कअ/विकास/2020/15080 दिनांक 14.07.2020 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु **दिनांक 31/08/2020** को **प्रातः 11.00 बजे, स्थान– राजीव गांधी सेवा केन्द्र, लसाडिया, तहसील केकडी, जिला–अजमेर** में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आपेक्ष/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षैत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ, जिला–अजमेर को भी दिये जा सकते है।

(राकेश गुप्ता)
क्षैत्रीय अधिकारी